कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा।

संख्या 3241 /आबकारी नीति/जि0आ0अधि0/महोबा/2019–20/दिनाँक : जनवरी 15 2019

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवश्यक सूचना–

जनपद महोबा के समस्त देशी शराब/विदेशी मदिरा एव बीयर के अनुज्ञापियों को सूचित किया जाता है कि शासन के आदेश संख्या–114/2018/4030 ई–2 /तेरह–2018–02/2018 दिनाँक 25.12.2018 एवं तद्क्रम में आबकारी आयुक्त के अर्द्धशासकीय पत्रांक 42900–42975/दस–लाइसेंस–421/आबकारी नीति क्रियान्वयन /2019–20 दिनाँक प्रयागराज जनवरी 11, 2019 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु जनपद की देशी शराब की 103, विदेशी मदिरा की 35 एवं बीयर की 25 फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन सुसंगत नियमावलियों के प्रविधानों के अन्तर्गत निम्न शर्तों के साथ किया जाना है–

1– देशी मदिरा:–

1. वर्ष 2019–20 हेतु वर्ष 2018–19 के व्यवस्थित एम0जी0क्यू अथवा वास्तविक उपभोग, जो भी अधिक हो, पर 8 प्रतिशत की वृद्धि कर एम0जी0क्यू0 निर्धारित किया जाना है। यदि किसी दुकान का व्यवस्थापन वर्ष 2018–19 में घटे हुए एम0जी0क्यू0 पर हुआ है तो वर्ष 2019–20 में ऐसी दुकानों के एम0जी0क्यू0 का निर्धारण वर्ष 2018–19 के प्रथम चरण हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0 के आधार पर किया जायेगा।
2. वर्ष 2019–20 हेतु बेसिक लाइसेंस फीस की दर रूपये 30/– प्रति बल्क लीटर तथा प्रतिफल फीस रूपये 222/– प्रति बल्क लीटर (36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में) है।
3. दुकान की मासिक लाइसेंस फीस जो मासिक एम0जी0क्यू0 में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य होगी, प्रतिमाह अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। मासिक लाइसेंस फीस के उपरोक्तानुसार भुगतान/समायोजन में विफल रहने पर दुकान की प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी तथा दुकान का अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाएगा।
4. देशी मदिरा की फुटकर दुकान पर जनपद में व्यवस्थित किसी एक सी0एल0–2 थोक अनुज्ञापी से अपने मासिक एम0जी0क्यू0 का अधिकतम 70 प्रतिशत तक उठान किया जाना अनुमन्य होगा। सम्पूर्ण मासिक एम0जी0क्यू0 का उठान कर लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापी द्वारा किसी भी सी0एल0–2 से अतिरिक्त निकासी ली जा सकेगी।
5. वर्ष 2019–20 में देशी मदिरा की दुकानों का नवीनीकरण/व्यवस्थापन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जाएगा:–

(1) अन्तिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।
(2) वर्ष 2018–19 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।
(3) अनुज्ञापी को इस आशय का शपथ पत्र भी देना होगा की वह दिनाँक 31.01.2019 तक की व्यवस्थित वार्षिक एम0जी0क्यू0 के आधार पर माह जनवरी, 2019 तक आगणित समानुपातिक एम0जी0क्यू0 से 6 प्रतिशत से अधिक की निकासी लेगा तथा वर्ष 2018–19 हेतु व्यवस्थित वार्षिक एम0जी0क्यू0 से 6 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की निकासी 15 मार्च, 2019 के पूर्व सुनिश्चित कर लेगा। विफलता की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाए तथा उसकी वर्ष 2018–19 की प्रतिभूति का 15 प्रतिशत एवं वर्ष 2019–20 की नवीनीकरण फीस व बेसिक लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2018–19 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।

2– विदेशी मदिरा:–

1. वर्ष 2019–20 हेतु विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेन्स फीस वर्ष 2018–19 में दुकान की वार्षिक लाइसेन्स फीस में अधिकतम 40 प्रतिशत तक की वृद्धि करते हुए निर्धारित की जायेगी। जिन दुकानों का वर्ष 2018–19 हेतु व्यवस्थापन घटे हुये लाइसेन्स फीस पर हुआ है, उन दुकानों के वर्ष 2019–20 के लाइसेन्स फीस के निर्धारण में वर्ष 2018–19 हेतु प्रथम चरण के व्यवस्थापन हेतु निर्धारत लाइसेन्स फीस के आधार पर आगणन किया जयेगा।
2. विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों में वर्ष 2018–19 में पूर्व वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक प्रतिफल शुल्क होने की स्थिति में वर्ष 2019–20 हेतु तत्समय निर्धारित शर्तों व देयताओं पर यदि अनुज्ञापी चाहे, तो उसके अनुज्ञापन के नवीनीकरण की व्यवस्था अनुमन्य होगी। वर्ष 2018–19 में नवसृजित विदेशी मदिरा दुकानों का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा, क्योंकि ऐसी दुकानों पर गत वर्ष के सापेक्ष 40 प्रतिशत अधिक राजस्व का आंकलन किया जाना सम्भव नहीं है। वर्ष 2018–19 में नवीनीकरण/ व्यवस्थापन हेतु गणना के लिए माह जनवरी 2019 तक दुकान पर हुए उपभोग में सन्निहित राजस्व के आधार पर

Scanned by CamScanner

समानुपातिक रूप से वर्षिक उपभोग पर कुल प्रतिफल फीस (अतिरिक्त प्रतिफल फीस सहित) का आगणन किया जायेगा। वर्ष 2019–20 में दुकानों का नवीनीकरण निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जाएगाः–

(1) अन्तिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2018–19 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

(3) अनुज्ञापी को इस आशय का शपथ पत्र भी देना होगा की वह दिनॉक 31.01.2019 तक उसकी दुकान पर हुये उपभोग में सन्निहित प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) गत वित्तीय वर्ष की समान अवधि में हुए आंकलित समानुपातिक उपभोग में सन्निहित राजस्व से 40 प्रतिशत अधिक होगा। इस प्रकार 15 मार्च, 2019 तक दुकान पर सम्पूर्ण वर्ष 2017–18 में हुए समानुपातिक उपभोग में सन्निहित प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) से 40 प्रतिशत अधिक प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) के समतुल्य की निकासी प्राप्त करते हुये दिनॉक 31.03.2019 तक उपभोग सुनिश्चित करेगा। विफलता की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा वर्ष 2018–19 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2019–20 की नवीनीकरण फीस व लाइसेन्स फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2018–19 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।

3– <u>बीयरः–</u>

1. वर्ष 2019–20 हेतु बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेन्स फीस वर्ष 2018–19 में दुकान की वार्षिक लाइसेन्स फीस में अधिकतम 30 प्रतिशत तक की वृद्धि करते हुए निर्धारित की जायेगी। जिन दुकानों का वर्ष 2018–19 हेतु व्यवस्थापन घटे हुये लाइसेन्स फीस पर हुआ है, उन दुकानों के वर्ष 2019–20 के लाइसेन्स फीस के निर्धारण में वर्ष 2018–19 हेतु प्रथम चरण के व्यवस्थापन हेतु निर्धारत लाइसेन्स फीस के आधार पर आगणन किया जयेगा।
2. बीयर की फुटकर दुकानों में वर्ष 2018–19 में पूर्व वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अथवा उससे अधिक उपभोग होने की स्थिति में 2019–20 हेतु निर्धारित शर्तों व देयताओं पर यदि अनुज्ञापी चाहे, तो उसके अनुज्ञापन के नवीनीकरण की व्यवस्था अनुमन्य की जायेगी। वर्ष 2018–19 में नवसृजित बीयर की दुकानों का नवीनीकरण किया जाना सम्भव नहीं होगा, क्योंकि इन दुकानों का वर्ष 2017–18 में उपभोग का आंकलन किया जाना सम्भव नहीं है। दुकानों का नवीनीकरण निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जाएगाः–

(1) अन्तिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2018–19 की प्रतिभूति धनराशि जामा एवं सुरक्षित हो।

(3) अनुज्ञापी को इस आश्य का शपथ पत्र भी देना होगा की दिनॉक 31.01.2019 तक उसकी दुकान पर हुये उपभोग गत वित्तीय वर्ष की समान अवधि में हुए आंकलित समानुपातिक उपभोग से 30 प्रतिशत अधिक होगा। इसी प्रकार 15 मार्च, 2019 तक दुकान पर सम्पूर्ण वर्ष 2017–18 में हुए समानुपातिक उपभोग से 30 प्रतिशत अधिक की निकासी प्राप्त करते हुये, दिनॉक 31.03.2019 तक उपभोग सुनिश्चित करेगा। विफलता की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2018–19 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2019–20 की नवीनीकरण फीस व लाइसेन्स फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2018–19 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।

<u>नवीनीकरण की प्रक्रिया</u>

(क) वर्ष 2019–20 के लिये देशी शराब/विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों हेतु प्रोसेसिंग फीस रू0 18000/– प्रति आवेदन निर्धारित किया जाता है कि तथा इस पर तत्समय प्रचलित दर से जी0एस0टी नियमानुसार वसूल किया जाएगा।

(ख) नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा, तथा उपरोक्त वर्णित शपथ–पत्र अपलोड किया जाएगा व प्रोसेसिंग फीस और जी0एस0टी0 की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। लाइसेंस प्राधिकारी के निर्देश पर इच्छुक अनुज्ञापी को नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2019–20 हेतु निर्धारित अनन्तिम बेसिक लाइसेंस फीस/वार्षिक लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत धनराशि 03 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना होगा। दिनॉक 31.01.2019 तक के उपभोग के आधार पर अन्तिम आगणित बेसिक लाइसेंस फीस/ वार्षिक लाइसेंस फीस की शेष धनराशि दिनॉक 28 फरवरी, 2019 तक अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति धनराशि के अन्तर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा 31 मार्च, 2019 तक जमा की जा सकेगी।

(ग) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रकिया का पालन न करने पर अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जयेगा तथा उसकी वर्ष 2018–19 की प्रतिभूति का 15 प्रतिशत (देशी शराब दुकान के प्रकरण में)/50 प्रतिशत (विदेशी मदिरा या बीयर दुकान या मॉडल शाप्स के प्रकरण में) एवं वर्ष 2019–20 की नवीनीकरण फीस व बेसिक लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2018–19 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।

Scanned by CamScanner

(घ) वर्ष 2019–20 के लिए निम्नानुसार नवीनीकरण फीस निर्धारित की जाती है:–

क्र0 सं0	निकाय	वर्ष 2019–20 हेतु निर्धारित दर (रूपयें में)			
		देशी शराब	विदेशी मदिरा	बीयर	–
1	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	70,000 प्रति दुकान	75,000 प्रति दुकान	55,000 प्रति दुकान	–
2	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	55,000 प्रति दुकान	55,000 प्रति दुकान	35,000 प्रति दुकान	–
3	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	25,000 प्रति दुकान	30,000 प्रति दुकान	15,000 प्रति दुकान	

अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण:–

(क) आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शपथ पत्र भी अपलोड कराना अनिवार्य होगा।

(ख) वर्ष 2019–20 हेतु नवीनीकृत होने वाली दुकानों के संबंध में वर्ष 2018–19 हेतु व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये हैसियत प्रमाण –पत्र मान्य होगें नवीनीकरण हेतु नये और अधिक मूल्य के हैसियत प्रमाण –पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(ग) आबकारी राजस्व से सम्बन्धित समस्त धनराशियों का भुगतान हेतु इलेक्ट्रानिक पेमेन्ट को प्रोत्साहित किया जायेगा।

नवीनीकरण हेतु समय – सारणी

क0सं0	विवरण	दिनॉक
1	नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन	16.01.2019 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से दिनॉक 21.01.2019 को 17.00 बजे तक
2	आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 03 कार्य दिवस के अन्दर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुए सम्बंधित इच्छुक अनुज्ञापी को सम्पूर्ण नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2019–20 हेतु अनन्तिम रूप से निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत की धनराशि 03 कार्य दिवस के अन्दर जमा करने का निर्देश दिये जाने की समयावधि	19.01.2018 से 24.01.2019 तक।

नोट:–

1–दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस/ वार्षिक लाइसेंस फीस की देयतायें अनन्तिम है। इनका अन्तिम रूप से निर्धारण वर्ष 2018–19 में दिनॉक 31.01.2019 तक के उपभोग में वृद्धि प्रतिषत के आधार पर किया जायेगा। नवीनीकरण हेतु इच्छुक आवेदनकर्ता द्वारा उक्त अन्तिम रूप से निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस/ वार्षिक लाइसेंस फीस के आधार पर देयतायें ससमय पूर्ण करने सम्बन्धी कथन शपथ पत्र में उल्लिखित किया जायेगा।

2–यदि किसी कारण वश किसी निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है तो उसके बावजूद सम्बन्धित तिथि के लिए निर्धारित कार्य यथावत सम्पादित किये जायेगें।

3– देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं मॉडल शाप दुकानों का एम0जी0क्यू0/बेसिक लाइसेंस फीस/ लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि आदि से सम्बन्धित **विस्तृत विवरण/ नवीनीकरण के आवेदन हेतु जनपद की एन0आई0सी0 वेबसाइट www.upexciseelottery.gov.in पर आवेदन की प्रकिया की जा सकती है।**

अधिक जानकारी के लिये कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, महोबा / क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से सम्पर्क कर विवरण प्राप्त करें।

15.01.19

जिला आबकारी अधिकारी,
जनपद महोबा।

15.1.2019

जिलाधिकारी,
जनपद महोबा।

संख्या 3242 /जि0आ0अ0, महोबा, दिनांक : जनवरी , 2019

प्रतिलिपि जिला सूचना अधिकारी, महोबा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति सरकारी दर एवं न्यूनतम स्पेस में दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर, बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, महोबा को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

15.1.2019

जिलाधिकारी,
जनपद महोबा।

Scanned by CamScanner